

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****लखनऊ****रिट - सी सं०. - 6672 वर्ष 2026**

प्रांजल पांडे और 2 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

एमिटी विश्वविद्यालय संगठन द्वारा निबंधक नोएडा उ.प्र. और 4 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

आवेदक (गण)के अधिवक्ता : राहुल मिश्रा, आलोक सिंह, रवि मिश्रा

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : ए.एस.जी.आई., संजीव कुमार श्रीवास्तव

न्यायालय सं०. - 3**माननीय न्यायमूर्ति, सुभाष विद्यार्थी**

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल मिश्रा, प्रतिवादी सं०. 3- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विद्वान अधिवक्ता श्री संजीव कुमार श्रीवास्तव और प्रतिवादी सं०. 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री अश्वनी कुमार सिंह को सुना गया।
2. प्रस्तुत रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं ने संचार दिनांकित 10.03.2026 प्रतिवादी सं०. 1, एमिटी विश्वविद्यालय संगठन (संक्षेप में 'विश्वविद्यालय') द्वारा अपने निबंधक L ब्लॉक, सेक्टर 125, नोएडा, उ.प्र. के द्वारा निर्गत किया गया है की वैधता को चुनौती दी है जिसके द्वारा प्रतिवादी सं०. 1-एमिटी विश्वविद्यालय ने याचिकाकर्ताओं को सूचित किया है कि याचिकाकर्ता अब एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (संक्षेप में 'एचसीएल') (प्रतिवादी सं०. 2) के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कर्मचारी नहीं है। एचसीएल कंपनी में सक्रिय रूप से नौकरी करना ज़रूरी था, क्योंकि याचिकाकर्ताओं को विश्वविद्यालय और एचसीएल द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जा रहे एक ऑनलाइन विशिष्ट कार्यक्रम में दाखिला दिया गया था।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि किसी शैक्षणिक पाठ्यक्रम में प्रवेश को किसी भी निजी संगठन में याचिकाकर्ताओं के रोजगार की निरंतरता पर निर्भर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।

4. याचिकाकर्ताओं ने एचसीएल कंपनी के साथ एक अलग समझौता किया है, जिसमें यह कहा गया है कि कर्मचारियों ने कंपनी की हायर एजुकेशन पॉलिसी फॉर टेक बीज़ - इंडिया के अंतर्गत 2024-27 की अवधि के लिए बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन नामक तीन वर्षीय डिग्री कोर्स, वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम में स्वेच्छा से प्रवेश लिया है। कंपनी (एचसीएल) ने प्रोग्राम की फीस का आंशिक रूप से भुगतान किया था। याचिकाकर्ताओं और एचसीएल के बीच समझौते की एक शर्त यह थी कि एचसीएल द्वारा कार्यक्रम को वित्तपोषित किए जाने के कारण, याचिकाकर्ता कंपनी से जुड़े रहेंगे और कार्यक्रम पूरा होने की तिथि से 24 महीने की अवधि तक अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। सभी याचिकाकर्ताओं ने एचसीएल की सेवा से त्यागपत्र दे दिया और उन्हें कंपनी (एचसीएल) से कार्यमुक्त कर दिया गया।

5. इसके बाद, प्रतिवादी सं०. 1 विश्वविद्यालय ने याचिकाकर्ताओं का उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश समाप्त कर दिया है, क्योंकि यह पाठ्यक्रम विशिष्ट रूप से एचसीएल के कर्मचारियों के लिए डिज़ाइन किया गया था, जबकि याचिकाकर्ता अब एचसीएल के कर्मचारी नहीं रहे हैं।

6. जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे कोर्स में प्रवेश लेता है जिसे कंपनी द्वारा आंशिक रूप से वित्तपोषित किया जाता है और जिसे विशिष्ट रूप से कंपनी के कर्मचारियों के लिए डिज़ाइन किया गया है और याचिकाकर्ताओं ने कंपनी के साथ एक समझौता किया है, जिसमें कहा गया है कि कंपनी के कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से तैयार

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किए गए पाठ्यक्रम से उन्हें लाभ होगा जिसके लिए कंपनी आंशिक रूप से खर्चों का वहन करेगी और यह लिखित आश्वासन देगी कि वे कम से कम 24 महीने की अवधि या कोर्स पूरा होने तक कंपनी में कार्यरत रहेंगे। यदि याचिकाकर्ता त्यागपत्र देकर कंपनी से अपनी सेवा समाप्त करते हैं, तो वे कंपनी की सेवा से जुड़े सभी लाभों के अधिकार से वंचित हो जाएंगे, जिसमें उस पाठ्यक्रम की पढ़ाई भी शामिल है जिसमें उन्हें एचसीएल कंपनी का कर्मचारी होने के कारण प्रवेश दिया गया था।

7. इन परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ताओं द्वारा स्वयं इस्तीफा देने के बाद एचसीएल से उनकी सेवा समाप्त होने के परिणामस्वरूप उनका प्रवेश रद्द करना, याचिकाकर्ताओं के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।

8. ऊपर की गई चर्चा को देखते हुए, मेरा मानना है कि एचसीएल कंपनी के कर्मचारियों के लिए विशिष्ट तौर पर बनाए गए कोर्स में याचिकाकर्ताओं का प्रवेश रद्द करने के विश्वविद्यालय के फैसले में कोई गलती या गैर-कानूनी बात नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता अब एचसीएल के कर्मचारी नहीं रहे।

9. याचिका गुणविहीन है और तदनुसार खारिज की जाती है।

जून 30, 2026

पीएस

(सुभाष विद्यार्थी, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।